रांची में, मंगलवार दिनांक 07 नवम्बर, 2017 को अपराह्न 04:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। माननीय मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की। सभी मंत्रीगण उपस्थित थे।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

1.	खरीफ विपणन मौसम 2017–18 में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान अधिप्राप्ति योजना की संशोधित नीति की स्वीकृति के संबंध में।	**स्वीकृत।**

श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग

2.	"Ease of Doing Business" के तहत् औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तैयार किये गये "Business Reforms Action Plan" के अनुपालन हेतु कारखाना अधिनियम, 1948 के केन्द्रीय अधिनियम संख्या–63 में संशोधन हेतु कारखाना (झारखण्ड संशोधन) अध्यादेश, 2017 की स्वीकृति के संबंध में।	**स्वीकृत।**

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

3.	'दीनदयाल लोक वस्तु' भण्डार के तहत् जन वितरण प्रणाली दुकानों में पी०डी०एस० सामग्री के साथ–साथ नन पी०डी०एस० सामग्रियों यथा साबुन, चायपत्ती, खाद्य तेल एवं अन्य सामग्री आदि के विक्रय के संबंध में।	**स्वीकृत।**

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

4.	मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 22.02.2006 के मद संख्या–28 में लिये गये निर्णय के आलोक में निर्गत राज्यादेश संख्या–1041/रा०, दिनांक 24.03.2006 द्वारा 1 रुपये टोकन सलामी पर सेंटर फॉर रिसर्च एण्ड कल्टिवेशन ऑफ मेडिसिनल एण्ड एरोमेटिक प्लान्ट की स्थापना हेतु पतजलि योगपीठ ट्रस्ट हरिद्वार को लीज पर बंदोबस्ती को रद्द करते हुए रांची जिलान्तर्गत अंचल बुण्डु, मौजा–दामी, थाना सं0–89, खाता सं0–101, प्लाट सं0–904, 907, 39 एवं 126, रकबा क्रमशः 41.65 एकड़, 7.15 एकड़, 9.46 एकड़ तथा 4.00 एकड़ अर्थात् कुल रकबा–62.26 एकड़ गैरमजरुआ खास भूमि (विस्तृत विवरणी संलग्न, अनुलग्नक–I) राजस्व विभागीय संकल्प ज्ञापांक–48/रा०, दिनांक 03.01.2017 के आलोक में प्रस्तावित भूमि का वर्तमान बाजार दर रु0 10,00,000/– (दस लाख) मात्र प्रति एकड़ की दर पर गणना की गयी सलामी राशि रु0 6,22,60,000/– (छः करोड़ बाईस लाख साठ हजार) मात्र तथा सलामी का 01 प्रतिशत वार्षिक लगान की राशि रु0 6,22,600/– (छः लाख बाईस हजार छः सौ) मात्र, लगान का 75% सेस रु0 4,66,950/– (चार लाख छियासठ हजार नौ सौ पचास) मात्र तथा लगान एवं सेस अन्य 29 (उन्तीस) वर्षों का एकमुश्त राशि रु0 3,15,96,950/– (तीन करोड़ पन्द्रह लाख छियानवे हजार नौ सौ पचास) मात्र अर्थात कुल देय राशि रु0 9,49,46,500/– (नौ करोड उनचास लाख छियालीस हजार पांच सौ) मात्र (विस्तृत विवरणी संलग्न, अनुलग्नक–II) की अदायगी पर नवीकरण विकल्प के साथ Cultural-cum-Educational Complex, Residential School, Goshala, International School, Community Hall and Akshaya Patra Centralized Kitchen की स्थापना हेतु Great India Talent Foundation (महान भारत प्रतिभा संस्थान) के साथ 30 (तीस) वर्षों के लिए सशुल्क लीज बन्दोबस्ती के संबंध में।	**स्थगित। प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् की अगली बैठक में उपस्थापित की जाय।**

मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय)

5.	झारखण्ड राज्य स्थापना दिवस समारोह, 2017 के अवसर पर आयोजित हाने वाले कार्यक्रमों पर व्यय हेतु मुख्य शीर्ष 2070–अन्य प्रशासनिक सेवाएँ के अन्तर्गत संबंधित इकाई में झारखण्ड आकस्मिकता निधि से रु0 5,00,00,000/– (पांच करोड़) मात्र की अग्रिम की स्वीकृति के संबंध में।	**स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

6.	नगर परिषद् फुसरो के GIS आधारित मास्टर प्लान–2041 की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। (कार्योपरांत स्वीकृति)	**स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

7.	नगर निगम धनबाद के GIS आधारित मास्टर प्लान–2041 की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। (कार्योपरांत स्वीकृति)	**स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

8.	नगर निगम चास के GIS आधारित मास्टर प्लान–2041 की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। (कार्योपरांत स्वीकृति)	**स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

9.	जमशेदपुर (UA) के GIS आधारित मास्टर प्लान–2041 की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। (कार्योपरांत स्वीकृति)	**स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

10.	नगर परिषद् चिरकुण्डा के GIS आधारित मास्टर प्लान–2041 की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान करने क संबंध में। (कार्योपरांत स्वीकृति)	**स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

11.	नगर परिषद् मिहिजाम के GIS आधारित मास्टर प्लान–2041 की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। (कार्योपरांत स्वीकृति)	**स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

12.	नगर पंचायत जामताड़ा के GIS आधारित मास्टर प्लान–2041 की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। (कार्योपरांत स्वीकृति)	**स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

13. नगर परिषद् कपाली के GIS आधारित मास्टर प्लान–2041 की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। **स्वीकृत।**

(कार्योपरांत स्वीकृति)

नगर विकास एवं आवास विभाग

14. नगर पंचायत नगर उंटारी के GIS आधारित मास्टर प्लान–2041 की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। **स्वीकृत।**

(कार्योपरांत स्वीकृति)

नगर विकास एवं आवास विभाग

15. नगर पंचायत छत्तरपुर के GIS आधारित मास्टर प्लान–2041 की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। **स्वीकृत।**

(कार्योपरांत स्वीकृति)

नगर विकास एवं आवास विभाग

16. नगर निगम देवघर के GIS आधारित मास्टर प्लान–2041 की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। **स्वीकृत।**

(कार्योपरांत स्वीकृति)

नगर विकास एवं आवास विभाग

17. नगर परिषद् रामगढ़ के GIS आधारित मास्टर प्लान–2041 की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। **स्वीकृत।**

(कार्योपरांत स्वीकृति)

उद्योग, खान एवं भू–तत्व विभाग

18. झारखण्ड औद्यागिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (जियाडा) के रांची प्रक्षेत्र अन्तर्गत बरही स्थित औद्योगिक क्षेत्र के आधारभूत संरचना के निर्माण हेतु रु0 29.68 करोड़ (उनतीस करोड़ अड़सठ लाख) मात्र योजना की स्वीकृति के संबंध में। **स्वीकृत।**

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग)

19. वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिये कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग) अन्तर्गत प्रस्तावित लैम्पस/पैक्स में कार्यालय–सह–गोदाम निर्माण हेतु कुल रुपये– 69,17,38,800/– (उनहत्तर करोड़ सत्रह लाख अड़तीस हजार आठ सौ) मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।	**स्वीकृत। साथ ही राज्य में State Ware Housing Corporation के गठन के लिये भी नियमानुसार कार्रवाई शीघ्र की जाय।**

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (गव्य विकास)

20. राज्य योजना अन्तर्गत झारखण्ड मिल्क फेडरेशन अन्तर्गत जमशेदपुर एवं गिरिडीह में नए डेयरी प्लांट की स्थापना के लिए कुल रु0 7534.00 लाख (पचहत्तर करोड़ चौंतीस लाख) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2017–18 में रु0 2261.00 लाख (बाईस करोड़ एकसठ लाख) मात्र के व्यय की स्वीकृति।	**स्वीकृत।**

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

21. राज्य योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में उद्यान विकास की योजना का कार्यान्वयन हेतु कुल राशि रु0 5000.00 लाख (पचास करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव।	**स्वीकृत।**

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

22. राज्य योजनान्तर्गत संचालित मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अन्तर्गत राज्य के गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे परिवारों के अतिरिक्त रु0 72,000/– (बहत्तर हजार) तक वार्षिक आयवाले परिवारों की कन्याओं को योजना का लाभ प्रदान करने एवं इसके कार्यान्वयन के लिए मार्ग–दर्शिका की स्वीकृति।	**स्वीकृत।**

योजना–सह–वित्त विभाग
(वित्त प्रभाग)

23. राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक 01.07.2017 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में। **स्वीकृत।**

योजना–सह–वित्त विभाग
(वित्त प्रभाग)

24. राज्य सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक 01.07.2017 के प्रभाव से महँगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में। **स्वीकृत।**

उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

25. वित्तीय वर्ष 2017–18 में बिनोद बिहारी महतो कोयालांचल विश्वविद्यालय, धनबाद की स्थापना हेतु रु0 3,48,50,00,000/– (तीन अरब अड़तालीस करोड़ पचास लाख) मात्र की योजना प्रस्ताव की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। **स्वीकृत।**

ह0/–
(राजबाला वर्मा)
मुख्य सचिव,
झारखण्ड